न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 84/16

मोहन पुत्र किशन जाति गुर्जर निवासी कुनकटा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांटान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार तलावडा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 50/14 निर्णय दिनांक 28.5.14 एवं नायब तहसीलदार तलावडा मु0न0 864/13 निर्णय दिनांक 26.9.13)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री श्याम मोहन शर्मा
2. रेस्पोटेटान की और से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 30.09.2019

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 50/14 निर्णय दिनांक 28.5.14 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा के प्रकरण संख्या 864/13 दिनांक 26.9.13 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मे अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार तलावडा के निर्णय दिनांक 26.9.13 के विरूद्व प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि ग्राम कुनकुटा खुर्द मे स्थित आराजी खसरा न0 326/1136 रकबा 0.55 क़िस्म गैर मुमकिन नदी पर सम्वत 2070 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने व फ़सल जप्त करने के साथ साथ अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपीलाट द्वारा प्रथम अपील अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ पेश की गई थी। अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर नायब तहसीलदार तलावडा के निर्णय का यथावत रखनें से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रूयेदार मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो से परे होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी ख0न0 326/1136 के 55 ऐयर भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए दो माह का सिविल कारावास एवं शास्ति एवं बेदखली से दण्डित किये जाने के आदेश

Scanned by CamScanner

विधि विरूद्व पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। तथा अपीलांधीन निर्णय अपीलांट की विधिवत तामिल हुए बिना एक पक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई सबूत एवं दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नही है जिससे अपीलांट का उक्त आराजीयात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण प्रमाणित होता हो । केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान खाली प्रपत्र पर खाना पूर्ति कर भरे गये है जिसमे कोई असलियत नही है। इसी प्रकार पूर्व मे पारित भौतिक बेदखी के वक्त उपस्थित गवाहो के बयान रिकार्ड पर लिये गये है। ना हीं कोई स्वतंत्र साक्ष्य कराई गई है एवं पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का कोई अवसर दिया गया है। इस प्रकार अपीलांट को केवल मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास एवं शास्ति एवं बेदखली के दण्डित किया गया है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णयो को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है तथा पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध मे सम्यक जॉच करने के उपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। जिसमे कोई अनियमितता नही है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है, जो सार्वजनिक लोककल्याणकारी कार्य के प्रयोजन मे आती है जिसका कभी भी नियमन नही किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि का रकबा कांफी बडा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अतिक्रमी का यह अतिक्रमण काफी पुराना है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि की जॉच पटवारी हल्का के अलावा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी की गई है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षो की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा सम्वत 2070 मे ग्राम अमरगढ की आराजी ख0न0 326/1136 रकबा 0.55 ऐयर भूमि पर जोत लगाकर बाजरे की फसल काश्त की गई है। जो कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.9.13 से स्पष्ट है एवं नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण प्रपत्र संख्या प.14 सम्वत 2069 वर्ष 2012 मे भी अतिचार दर्शित है। मुताबिक रिपोर्ट अतिक्रमित भूमि गैर मुमकिन नदी है। जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम मे आती है। माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर राजस्थान द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन नं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय

Scanned by CamScanner

दिनांक 02.08.2004 मे नदी,नाला,तालाब आदि के संरक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे किसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया है। जबकि पत्रावली मे उपलब्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 12.9.13 को नोटिस जारी कर 26.9.13 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसकी तामिल तामिल कुन्निदा द्वारा चस्पादगी से कराई गई है जिस पर दो स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर मौजूद है। अपीलांट द्वारा दिनांक 26.9.13 को अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर भी पश्चातवर्ती अतिचार नही करने संबंधी कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है। जिससे उसका अतिचार नही करना सिद्व हो सके एवं पटवारी हल्का से उसे जिरह का अवसर दिया जा सके। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत एवं सम्यक जॉचोपरान्त ही पारित किये गये है। जिनमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः हमारे मतानुसार दोनो अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णयो मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के मु0न0 50/14 निर्णय दिनांक 28.5.14 एवं नायब तहसीलदार तलावडा तहसील गंगापुर सिटी के मु0न0 864/13 निर्णय दिनांक 26.9.13 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30.9.19

(बी0एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.18 17:30:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: